

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/304

दिनांक : 14 अप्रैल, 2020

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
आर्युविज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

विषय : कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के मध्यनजर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नर्सिंग स्टाफ को कार्य व्यवस्था के तहत लगाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इससे उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस (Covid-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु नर्सिंग कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आपके अधीन संचालित निम्नलिखित चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों (नर्स श्रेणी द्वितीय/नर्स श्रेणी प्रथम) को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर में कार्य व्यवस्था हेतु लगाने का श्रम करावें :-

क.सं.	चिकित्सा संस्थान	कार्य व्यवस्थार्थ लगार्य जाने वाले कर्मियों की संख्या
1	हरिबक्श कांठिया चिकित्सालय, जयपुर	10
2	पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर	05
3	जे.के.लोन चिकित्सालय, जयपुर	05

साथ ही उक्त कर्मियों को आज ही कार्यमुक्त करते हुये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करते हुये रिपोर्ट ई-मेल आई. डी. add4ng@gmail.com पर भिजवायें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2020/304

दिनांक : 14 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, पुर्नवास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर एवं अधीक्षक, जे.के.लोन/कांठिया चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्तानुसार नर्सिंग कर्मियों को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल जयपुर हेतु कार्यमुक्त करते हुये पालना रिपोर्ट जरीये ई-मेल के भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्पताल, जयपुर।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय संबंधित को तुरन्त प्रभाव से ई-मेल करते हुये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर